

F.No. IWT-11011/123/2015-IWT
Government of India
Ministry of Ports, Shipping & Waterways
(IWT Section)

Transport Bhawan
1, Parliament Street, New Delhi
Dated the 22nd February, 2022

OFFICE MEMORANDUM


Subject: - Uploading on the website on Ministry of Ports, Shipping & Waterways the draft subordinate rules to be framed under delegated legislation of Inland Vessels Act, 2021 – reg.

Please upload the following draft subordinate rule (sent through email) to be framed under delegated legislation of Inland Vessels Act, 2021 on the website of MoPSW for inviting objections/suggestions, to the following rules:

Draft Inland vessels (Life Saving Appliances) Rules 2022

2. Notice Board/What's New webpage will contain following content:

- "The Draft Inland Vessels (Life Saving Appliances) Rules 2022, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), are hereby published for information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days.
- Objections or suggestions, if any, to the above draft rules may be addressed to the Director (IWT), Ministry of Ports, shipping & Waterways, Room No. 439, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi- 110001 or by email at abhay.sarode@gov.in and uttam.mishra27@gov.in."


(Uttam Kumar Mishra)
Under Secretary (IWT)
Tel: 23357558

Director, NIC
Ministry of Ports, Shipping & Waterways
Transport Bhawan,
New Delhi- 110001.

F.No. IWT-11011/123/2015-IWT
Government of India
Ministry of Ports, Shipping & Waterways
(IWT Section)

Transport Bhawan
1, Parliament Street, New Delhi
Dated the 22nd February, 2022

OFFICE MEMORANDUM


Subject: - Uploading on the website on Ministry of Ports, Shipping & Waterways the draft subordinate rules to be framed under delegated legislation of Inland Vessels Act, 2021 – reg.

Please upload the following draft subordinate rule (sent through email) to be framed under delegated legislation of Inland Vessels Act, 2021 on the website of MoPSW for inviting objections/suggestions, to the following rules:

Draft Inland vessels (Safe Navigation, Communication and Signals) Rules 2022

2. Notice Board/What's new webpage will contain following content:

- "The Draft Inland Vessels (Safe, Navigation, Communication and Signals) Rules 2022, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), are hereby published for information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days.
- Objections or suggestions, if any, to the above draft rules may be addressed to the Director (IWT), Ministry of Ports, shipping & Waterways, Room No. 439, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi- 110001 or by email at abhay.sarode@gov.in and uttam.mishra27@gov.in."


(Uttam Kumar Mishra)
Under Secretary (IWT)
Tel: 23357558

Director, NIC
Ministry of Ports, Shipping & Waterways
Transport Bhawan,
New Delhi- 110001.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022022-233652
CG-DL-E-22022022-233652

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]
No. 137]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2022/फाल्गुन 3, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022/PHALGUNA 3, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 140 (अ).—अंतर्देशीय जलयान [जीवन रक्षक उपकरण] नियम 2022 का मसौदा, जिसे केंद्र सरकार अंतर्देशीय धारा 106 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है। 2021 के अंतर्देशीय जलयान अधिनियम (2021 का 24), इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदे पर उस तारीख से तीस दिनों के बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा नंबर 439, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या abhay.sarode@gov.in और uttam.mishra27@gov.in ईमेल द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर संबोधित किया जा सकता है;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ

(1) इन नियमों को अंतर्देशीय जलयान [जीवन रक्षक उपकरण] नियम 2022 कहा जाएगा।

(2) वे राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" का अर्थ 2021 का अंतर्देशीय जलयान अधिनियम;- (2021 का 24)

(ख) "अंतर्देशीय जलयान" का अर्थ अधिनियम की धारा-3 (वाई) के अंतर्गत परिभाषित किए गए किसी भी यांत्रिक रूप से प्रणोदित अंतर्देशीय जलयानों से है।

(ग) "मौजूदा जलयान" अथवा "मौजूदा अंतर्देशीय जलयान" का अर्थ है कोई भी अंतर्देशीय जलयान जो कोई नया अंतर्देशीय जलयान नहीं है जो नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के तहत प्रदान की गई परिभाषा के दायरे में आता है।

(i) जलयान के सकल टनभार में 10% से अधिक परिवर्तन

(ii) जलयान के प्रकार का परिवर्तन

(iii) प्रणोदन प्रणाली/ मुख्य इंजन/ ईंधन का प्रकार का परिवर्तन

(घ) "प्रमुख रूपांतरण या संशोधन" का अर्थ निम्नलिखित में से कोई भी है;

i) जलयान के सकल टन भार में दस प्रतिशत से अधिक परिवर्तन;

ii) जलयान के प्रकार का परिवर्तन

iii) प्रणोदन प्रणाली/मुख्य इंजन/ईंधन के प्रकार में परिवर्तन

(ङ) "नया अंतर्देशीय जलयान" का अर्थ किसी भी ऐसे अंतर्देशीय जलयान से है, नियमों के लागू होने की तारीख को या उसके बाद जिसका नौतल रखा गया है या जो निर्माण के समान चरण में है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए परंतु अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ अधिनियम में निर्दिष्ट होगा।

3. अनुपालन की सीमा

(1) सभी मौजूदा जलयान, इन नियमों के लागू होने के पहले से मौजूद आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे;

बशर्ते कि मौजूदा अंतर्देशीय जलयान जो बड़े रूपांतरण या संशोधन करते हैं, जहां तक इसे नामित प्राधिकारी द्वारा उचित और व्यावहारिक माना जाता है, इन नियमों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करेंगे, और बशर्ते कि प्रणोदन प्रणाली अथवा मुख्य इंजन के परिवर्तन के मामले में, नए नियम केवल उन्हीं उपकरणों और प्रणालियों पर लागू होंगे।

यह की मौजूदा जलयानों को नियम 7 में निर्दिष्ट लाइफ जैक्टस, लाइफ बॉय और लाइफ रॉफ्ट/ बोइंट उपकरण के लिए आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा और इसके साथ-साथ इन नियमों के एक वर्ष के अंतर्गत नियम 16 में सुरक्षा उपकरण योजना को प्रभावी किया जाएगा।

(2) नए अंतर्देशीय जलयान के मालिक/संचालक और मास्टर, जैसा उपयुक्त हो, यह सुनिश्चित करेंगे कि जलयान का निर्माण, रखरखाव और संचालन इन नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है और यह कि जलयान, इच्छित उद्देश्य के लिए उपयुक्त है।

(3) किसी नए अंतर्देशीय जलयान को इस अधिनियम और अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियमावली, 2022 के तहत सर्वेक्षण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा जलयान जीवन रक्षक उपकरणों के लिए डिजाइन और कैरिज आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है जो अंतर्देशीय जलयान को वहन करना चाहिए, या वे मानक या आवश्यकताएं जो परिचालन या प्रक्रियात्मक प्रकृति के हैं।

(4) इन नियमों के उद्देश्य के लिए, अधिनियम के तहत नियुक्त किए गए सर्वेयर खुद को संतुष्ट करेगा कि इन आवश्यकताओं के अनुसार अंतर्देशीय जलयान का संचालन किया जाएगा, यह प्रदर्शित करने के लिए प्रक्रियाओं का साक्ष्य है।

4. उपकरण मानक और मार्गदर्शन

(1) जीवन रक्षक उपकरण, उपकरण या मशीनरी का कोई विशेष भाग जो इन नियमों के अनुपालन में अंतर्देशीय जलयानों को प्रदान किया जाएगा या ऑन बोर्ड ले जाया जाएगा; बीआईएस/आईएसओ आदि जैसे राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार होना चाहिए।

5. जलयानों का वर्गीकरण

इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अंतर्देशीय जलयानों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(1) श्रेणी I - यात्री जलयान

(2) श्रेणी - श्रेणी I, श्रेणी III के अंतर्गत आने वाले जलयानों के अलावा कार्गो जलयान,

(3) श्रेणी -III- अधिनियम की धारा 3 (वाई) (ii) के तहत परिभाषा के दायरे में आने वाले गैर-स्वचालित जलयान।

6. जीवन रक्षक उपकरण

(1) श्रेणी I का एक अंतर्देशीय जलयान वहन करेगा -

(क) बोर्ड पर यात्रियों और चालक दल की कम से कम 100% संख्या को समायोजित करने के लिए पर्याप्त संख्या में जीवन-राफ्ट और/या बोयंट उपकरण; लाइफ राफ्ट और बोयंट उपकरण की संख्या परिचालन के क्षेत्र और उपलब्ध की गई बचाव सेवाओं के आधार पर नामित प्राधिकारी द्वारा तय की जा सकती है। 24 मीटर से कम लंबाई के जहाजों में, बोयंट उपकरण को समान संख्या में जीवन बाँय से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

(ख) बोर्ड पर 100% यात्रियों और चालक दल के प्रत्येक के लिए एक लाइफ जैकेट;

(ग) शिशु के लिए लाइफ जैकेट, वहन करने के लिए प्रमाणित यात्रियों की कुल संख्या के 2.5% के लिए, जहां शिशु का मतलब 15 किलोग्राम से कम का व्यक्ति है।

(घ) बच्चे के लिए लाइफ जैकेट, वहन करने के लिए प्रमाणित यात्रियों की कुल संख्या के 10% के लिए और इस खंड के उद्देश्य के लिए, बच्चे का अर्थ अन्य व्यक्ति और 30 किलोग्राम से कम का शिशु है।

(ङ) 24 मीटर लंबाई तक के जहाजों के लिए कम से कम चार लाइफबाँय, 24-45 मीटर लंबाई के जलयानों के लिए छह लाइफ बाँय और 45 मीटर से अधिक लंबे जलयानों के लिए 8 लाइफबाँय। 30 मीटर लंबाई की बोयंट रेखा के साथ कम से कम दो लाइफ बाँय स्व-प्रज्वलित होंगे;

(च) 100 से अधिक यात्री क्षमता वाले सभी श्रेणी-I के जहाजों को एक लाइन थ्रोइंग उपकरण प्रदान किया जाना चाहिए जिसमें कम से कम 3 प्रोजेक्टाइल शामिल हों, जिनमें से प्रत्येक लाइन को शांत मौसम में 230 मीटर की मामूली सीमा तक ले जाने में सक्षम हो।

(छ) श्रेणी-1 यात्री क्षमता 200 और उससे अधिक और 45 मीटर से अधिक लंबाई वाले प्रत्येक जलयान में कम से कम छह व्यक्तियों की यात्री क्षमता के साथ कम से कम एक बचाव / वर्कबोट होगा, जिसे जलयान के दोनों ओर लॉन्च करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान किया जाएगा। रेस्क्यू/वर्कबोट्स को नियमित सर्विसिंग द्वारा काम करने की स्थिति में बनाए रखा जाना है और वार्षिक सर्वेक्षणों के दौरान प्रदर्शित किया जाना है।

(ज) सभी चालक दल के पास बचाव और प्राथमिक चिकित्सा में पर्याप्त प्रशिक्षण होना चाहिए; तथा

(झ) सभी नावों में सर्च लाइट और हैंड टॉर्च होनी चाहिए।

(2) श्रेणी-II का एक अंतर्देशीय जलयान ले जाएगा -

(क) 10 मीटर से अधिक के जहाज के लिए सभी चालक दल को समायोजित करने के लिए कम से कम एक जीवन बेड़ा और / या बोयंट उपकरण रखना चाहिए। 24 मीटर से कम लंबाई के जलयानों में, बोयंट उपकरण को समान संख्या में जीवन बाँय से बदला जा सकता है।

(ख) बोर्ड पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक लाइफ जैकेट होना चाहिए।

(ग) 24 मीटर लंबाई तक के जलयानों के लिए कम से कम दो लाइफ बाँय और 24 मीटर से अधिक के लिए चार लाइफ बाँय, जिनमें से एक रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप और 30 मीटर लंबाई की बोयंट लाइन से लैस होना चाहिए।

(3) श्रेणी-III का एक मानवयुक्त अंतर्देशीय जलयान ले जाएगा -

(क) बोर्ड पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक लाइफ जैकेट होना चाहिए; तथा

(ख) कम से कम दो लाइफ बाँय, जिनमें से एक स्व-स्विचिंग लाइट और 30 मीटर लंबाई की बोयंट लाइन से लैस होना चाहिए।

7. तकनीकी आवश्यकताएँ

(1) इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किए गए प्रत्येक जीवन रक्षक उपकरण राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों में निहित तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और ऐसे उपकरण नामित प्राधिकारी या एक वर्गीकरण सोसायटी द्वारा अनुमोदित प्रकार होंगे जो आईएसीएस का सदस्य होगा।

सभी जीवन रक्षक उपकरणों को अनुमोदित योजना के अनुसार उचित रूप से रखा जाना चाहिए और इन नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार रखरखाव/सेवा प्रदान की जानी चाहिए।

लाइफ बाँय, लाइफ राफ्ट और बोयंट उपकरण इस तरह से बोर्ड पर लगाए जाने चाहिए कि वे डूबने पर तैरने में सक्षम हों।

8. प्रचालनात्मक तैयारी, रखरखाव और निरीक्षण

(1) पत्तन से किसी भी अंतर्देशीय जलयान को छोड़ने से पहले और यात्रा के दौरान हर समय, बोर्ड पर सभी जीवन रक्षक उपकरण काम करने की स्थिति में होंगे और तत्काल उपयोग के लिए तैयार होंगे।

(2) जहां तक भी संभव हो, जीवन रक्षक उपकरणों के ऑन-बोर्ड रखरखाव के निर्देशों को आसानी से समझा और चित्रित किया जाएगा।

(3) सामान्य आपातकालीन अलार्म प्रणाली का साप्ताहिक परीक्षण किया जाएगा।

(4) एक अनुमोदित सर्विसिंग स्टेशन पर 12 महीने से अधिक के अंतराल पर इन्फ्लेटेबल लाइफ-राफ्ट की सेवा नहीं दी जाएगी:

बशर्ते कि, ऐसे मामलों में जहां पोत की सेवा और अनुमोदित सर्विस स्टेशन का स्थान इस आवश्यकता का अनुपालन करना असंभव बना देता है, नामित प्राधिकारी इस अवधि को बढ़ाने की अनुमति दे सकता है लेकिन किसी भी मामले में इस उप-नियम के तहत 6 महीने से अधिक समय अवधि का विस्तार नहीं की जाएगी।

(5) निरीक्षण की रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड पर रखी जाएगी।

9. जीवन रक्षक उपकरणों की सेवा प्रदान करना

(1) नामित प्राधिकारी या वर्गीकरण सोसायटी की आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिवर्ष लाइफराफ्ट की सेवा दी जाएगी।

(2) इन्फ्लेटेबल लाइफजैकेट को कम से कम हर 2 वर्षों में प्रदान किया जाएगा, और जहां किसी भी इन्फ्लेटेबल लाइफजैकेट का नियमित आधार पर उपयोग किया जाता है, उन्हें सालाना प्रदान किया जाएगा।

(3) रेस्क्यू/वर्कबोट्स को वार्षिक सर्विसिंग द्वारा काम करने की स्थिति में बनाए रखा जाना है और वार्षिक सर्वेक्षणों के दौरान प्रदर्शित किया जाना है।

10. सार्वजनिक संबोधन / सामान्य अलार्म सिस्टम – संचार

श्रेणी II और श्रेणी III (मानवयुक्त) 30 मीटर से अधिक लंबाई के जलयानों, और सभी श्रेणी I वाले जलयानों को एक सामान्य आपातकालीन अलार्म सिस्टम, या एक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली प्रदान की जाएगी, जिसका उपयोग सामान्य आपातकालीन अलार्म के प्रसारण के लिए किया जा सकता है और प्रथम श्रेणी के जलयानों के संबंध में, नियम 14 उप-नियम (1) में सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है।

11. रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सामग्री

जीवन रक्षक उपकरणों को रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सामग्री से सुसज्जित किया जाना चाहिए और सामग्री का आयाम और स्थान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होना चाहिए,

12. लॉक ट्रांजिट

लॉक को पारगमन करने वाले जलयानों को आपातकालीन स्थिति में अलार्म बजाने के लिए एक साधन सुनिश्चित करना चाहिए और इस तरह के उपकरण ले जाने चाहिए:

(1) सुरक्षा संबंधी हार्नेस और सुरक्षा रस्सी

(2) सीढ़ी और मशाल, जैसा उपयुक्त हो

(3) कोई अन्य उपकरण या घटक जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यक हो।

13. श्रेणी I के जलयानों पर आपातकालीन सूचना और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली

(1) जलयानों में एक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली प्रदान की जानी चाहिए, जो कम से कम एक स्थान से संचालित हो, जलयान पर सभी व्यक्तियों द्वारा सुना जा सकता है और 100 से अधिक यात्रियों या 30 मीटर से अधिक लंबाई वाले सभी जलयानों में अलग-अलग स्थानों पर एक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली होनी चाहिए।

(2) 50 से कम यात्रियों को ले जाने वाले जलयानों में, जिसमें यात्रियों का केवल एक ही यात्री कंपार्टमेंट या स्थान होता है, तो ऊपर उप-नियम (1) के तहत निर्धारित संबोधन प्रणाली के बदले एक पोर्टेबल लाउड हैलर ले जाया जा सकता है।

(3) जब सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो मनोरंजन प्रणाली स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी और जलयानों पर लाउड हैलर को हाथों से बंद करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(4) इस प्रणाली का उपयोग यात्रियों को आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सूचित करने के लिए किया जाएगा, जिसके कारण जलयान को छोड़ दिया जा सकता है और ऐसी जानकारी, बर्थ छोड़ने से पहले या तुरंत दी जाएगी। उप नियम (7) में सूचीबद्ध आइटम प्रदान की गई जानकारी का हिस्सा होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: उन जलयानों के मामले में जो कम अवधि की नियमित फेरी सेवा संचालित करते हैं, जहां अनुपालन के परिणामस्वरूप सुरक्षा संदेश का बहुत बार प्रसारण होगा, अन्य व्यवस्थाओं पर नामित प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा और ऐसी व्यवस्था में संबंधित सुरक्षा नोटिस पर ध्यान आकर्षित करना शामिल हो सकता है।

(5) एक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली विद्युत शक्ति के मुख्य स्रोत से और मुख्य स्रोत से दूरस्थ स्थान पर स्थित विद्युत शक्ति के वैकल्पिक स्रोत से संचालित की जाएगी और लाउडहेल्स के लिए बैटरी बैक-अप या अतिरिक्त बैटरी ले जाया जाएगा।

(6) यात्री आपातकालीन निर्देश नोटिस प्रत्येक यात्री डिब्बे में प्रदर्शित किए जाएंगे और प्रदर्शित की जाने वाली संख्या डिब्बों के लेआउट और जहाज की सेवा पर निर्भर करेगी।

(7) उपरोक्त उप-नियम (6) में निर्धारित नोटिस की आवश्यकता प्रतीक्षा कक्षों और टर्मिनलों में भी प्रदान की जाएगी, जहां व्यावहारिक हो और नोटिस में दी गई जानकारी में शामिल होंगे:

(क) यात्रियों को सूचित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि कि कोई आपात स्थिति होने पर;

(ख) उन्हें जो कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी;

(ग) जीवन रक्षक उपकरण का उपयोग कैसे करें;

(घ) लाइफजैकेट कैसे धारण करें; तथा

(ङ) जहां लाइफजैकेट ले जाया जाता है।

14. श्रेणी I के जलयानों के लिए खोज और बचाव (एसएआर) आवश्यकताएँ

(1) 50 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाले सभी यात्री जलयानों को पोत के संचालन के क्षेत्र के लिए प्रासंगिक आपातकालीन सेवाओं के साथ सहयोग के लिए एक सहमत और अद्यतित योजना रखना चाहिए।

व्याख्या: सहयोग योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपात स्थिति में, पोत के कर्मचारी और संबंधित अधिकारी किसी आपात स्थिति का जवाब देने के लिए एक साथ कुशलतापूर्वक काम करने में सक्षम हों।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए, यात्री जलयान, कंपनी और एसएआर सेवाओं के संक्षिप्त विवरण का आदान-प्रदान करने एवं उपयोग के लिए तैयार रखा जाना चाहिए और इसमें सीधे संपर्क विवरण शामिल होगा।

(3) योजना की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए समय-समय पर प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(4) ऐसे प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड और प्रतिभागियों के नाम भी बनाए रखे जाएंगे।

15. सुरक्षा उपकरण योजना

(1) 24 मीटर और उससे अधिक लंबाई के सभी जलयानों में एक सुरक्षा उपकरण योजना होनी चाहिए जो विभिन्न जीवन रक्षक उपकरणों के स्थान को दर्शाती हो और आपात स्थिति में उपयोग किए जाने वाले सभी अग्नि नियंत्रण और अग्निशामक उपकरणों को बोर्ड पर स्थापित/ वहन किया जाता हो।

[फा.सं.आईडब्लूटी-11011/91/2021 आईडब्लूटी]

सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2022

G.S.R. 140(E).—The draft of the Inland Vessels [Life Saving Appliances] Rules 2022, which the Central Government proposes to make, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act of 2021(24 of 2021), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 439, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at abhay.sarode@gov.in and uttam.mishra27@gov.in within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person concerning the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short Title Commencement

- (1) These Rules shall be called the Inland Vessels [Life Saving Appliances] Rules 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,--

- (a) "Act" means the Inland Vessels Act of 2021(24 of 2021)
- (b) "inland vessel" means any mechanically propelled inland vessels as defined under section 3(y) of the Act.
- (c) "Existing vessel" or "existing inland vessel" means any inland vessel which is not any new inland vessel that falls within the ambit of the definition provided under clause (d) of sub-rule (1) of Rule 3
- (d) "Major conversion or modification" means any of the following;
 - i) Change in Gross Tonnage of the vessel by more than ten per centum;
 - ii) Change of vessel type
 - iii) Change of propulsion system/ main engines/ type of fuel
- (e) "New inland vessel" means any inland vessel whose keel is laid or which is at a similar stage of construction on or after the date of coming into force of the Rules.

- (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Threshold of Compliance

- (1) All existing inland vessels shall comply with the requirements existing prior to coming into force of these rules;

Provided that the existing inland vessels that undergo major conversion or modification shall comply with the requirements specified in these rules, as far as it is considered reasonable and practicable by the Designated Authority, and provided that in the case of change or propulsion system or main engines the new rules would apply to that equipment and systems only;

Provided that existing vessels are to comply with the requirements for provision of life jackets, life buoys and life-raft/ buoyant apparatus specified in Rule 7 as well as the Safety Equipment Plan in Rule 16 within one year of coming into force of these Rules.

- (2) The owner/operator and master of any new inland vessel, shall ensure that the vessel is constructed, maintained and operated in accordance with the requirements of these Rules and that the vessel is suitable for its intended service.
- (3) No new inland vessel shall be issued with the certificate of survey under the Act and the Inland Vessels (Survey and Certification) Rules, 2022, unless such vessel complies with the design and carriage requirements for Life Saving Appliances that the inland vessel must carry, or those standards or requirements that are operational or procedural in nature,
- (4) For the purpose of these Rules, the Surveyor appointed under the Act shall satisfy himself that there is evidence of procedures in place to demonstrate that the inland vessel will be operated in accordance with these requirements.

4. Equipment Standards and Guidance

- (1) Any particular piece of life saving appliances, equipment or machinery that the inland vessels shall be provided with or carried onboard; shall be in accordance with a national or international standard such as BIS/ ISO etc.

5. Classification of vessels

For the purposes of these Rules the inland vessels shall be classified as per the following:

- (1) Class I – Passenger vessels
- (2) Class II – Cargo vessels and vessels other than those falling under Class I, Class III,

(3) Class III - Non-self propelled vessels falling within the ambit of the definition under section 3 (y) (ii) of the Act.

6. Life Saving Appliances

(1) An inland vessel of **class I** shall carry -

- (a) Sufficient number of life-rafts and/ or buoyant apparatus to accommodate at least 100% number of passengers and crew on board; The number of life rafts and buoyant apparatus may be as decided by the Designated Authority depending on area of operation and rescue services available. In vessels of less than 24 m in length, buoyant apparatus may be replaced with equivalent number of life buoys.
- (b) One life jacket each for 100% of passengers and crew on board;
- (c) Life jacket for infant, for 2.5% of total number of passengers certified to carry, where infant means person below 15 kgs.
- (d) Life jacket for child, for 10% of total number of passengers certified to carry and for the purpose of this section, child means person other than infant and below 30kgs.
- (e) At least four lifebuoys for vessels up to 24 meter length, six life buoys for vessel 24-45 meter length and 8 life buoys for vessels greater than 45 meter length. At least two of the life buoys shall be with self-igniting light and buoyant line of 30m in length;
- (f) All class I vessels with passenger capacity more than 100 should be provided with a line throwing apparatus which includes not less than 3 projectiles with line each capable of carrying the line to a nominal range of 230 meters in calm weather
- (g) Every vessel of Class I passenger capacity 200 and above and having length more than 45 m shall have at least one rescue/ workboat with minimum passenger capacity of six persons, which shall be provided with necessary equipment for launching on either side of the vessel. Rescue/workboats are to be maintained in working condition by regular servicing and demonstrated during annual surveys.
- (h) All crew should possess sufficient training in rescue and first aid; and
- (i) All boats shall have search lights and hand torches.

(2) An inland vessel of **class II** shall carry –

- (a) At least one life raft and /or buoyant apparatus to accommodate all crew for vessel over 10 meters. In vessels of less than 24 m in length, buoyant apparatus may be replaced with equivalent number of life buoys.
- (b) One life jacket for each person on board.
- (c) At least two life buoys for vessels up to 24 meter length and four life buoys for above 24 meter of which one shall be equipped with retro-reflective tapes and buoyant line of 30 m in length.

(3) A manned inland vessel of **class III** shall carry –

- (a) One life jacket for each person on board; and
- (b) At least two life buoys, one of which shall be equipped with self- switching light and buoyant line of 30m in length.

7. Technical Requirements

(1) Every lifesaving appliances provided as per provisions of these rules shall meet the technical requirements contained in National/ International Standards and such equipment shall be type approved by the designated authority or a Classification Society who is a member of IACS.

All life-saving appliances shall be properly stowed as per the approved plan and maintained/serviced as per the requirements of these Rules.

Life buoys, life rafts and buoyant apparatus should be placed on board in such a way as to be capable of being float - free on submerging.

8. Operational readiness, maintenance and inspection

- (1) Before any inland vessel leaves port and at all times during the voyage, all life-saving appliances on board shall be in working order and ready for immediate use.
- (2) Instructions for on-board maintenance of life-saving appliances shall be easily understood and illustrated where possible.
- (3) The general emergency alarm system shall be tested weekly.

(4) Inflatable life-rafts shall be serviced at intervals of not more than 12 months at an approved servicing station:

Provided that, in cases where the service of a vessel and the location of approved service station make it impossible to comply with this requirement, the Designated Authority may allow this period to be extended but in no case shall the extension of time period provided under this sub-rule, be greater than 6 months.

(5) A copy of the report of the inspection shall be retained on board.

9. Servicing of Life Saving Appliances

(1) Liferafts shall be serviced annually in accordance with the requirements of the Designated Authority or Classification Society.

(2) Inflatable lifejackets shall be serviced at least every 2 years, and where any inflatable lifejackets are used on a regular basis, they shall be serviced annually.

(3) Rescue/workboats are to be maintained in working condition by annual servicing and demonstrated during annual surveys.

10. Public Address / General Alarm system - Communications

Class II and Class III (manned) vessels of more than 30 m in length, and all Class I vessels, shall be provided with a general emergency alarm system, or a public address system, which can be used for broadcasting a general emergency alarm and with respect to class I vessels, the Public Address system shall also meet the requirements in sub-rule (1) to Rule 14.

11. Retro-reflective material

Life-saving appliances shall be fitted with retro-reflective material and the dimensions and location of the material shall be in accordance with national/international standards,

12. Lock Transits

Vessels transiting locks shall ensure a means of raising alarm in the case of an emergency and must carry equipment such as:

- (1) safety harness and safety rope
- (2) ladders and torches, as appropriate
- (3) any other equipment or components as may be required by the Competent Authority from time to time.

13. Emergency Information and public address systems on Class I vessels

(1) Vessels are to be provided with a public address system, operable from at least one point that can be heard by all persons onboard and all vessels carrying more than 100 passengers or more than 30 metres in length shall have a public address system operable from at least two well separated points.

(2) In vessels carrying not more than 50 passengers in which the passengers have access to only one passenger compartment or space, a portable loud hailer may be carried in lieu of the a public address system stipulated under sub-rule(1) above.

(3) Entertainment systems shall be turned off automatically when the public address system is used and option for manual shut off shall be available on vessels with loud hailers.

(4) The system shall be used to inform the passengers of the action they shall take in the event of an emergency which could lead to the vessel being abandoned and such information, shall be given either prior to or immediately on leaving the berth. The items listed in sub rule (7) are to be part of the information provided.

Explanation: In the case of vessels which operate regular ferry service of short duration where compliance would result in very frequent broadcasting of the safety message, other arrangements will be considered by the Designated authority and such arrangements may include drawing attention to the relevant safety notices and the like.

(5) A public address system shall be powered from the main source of electrical power and from an alternative source of electrical power situated in a location remote from the main source and the battery back-up or spare batteries shall be carried for loudhailers.

(6) Passenger Emergency Instructions notices shall be displayed in each passenger compartment and the number to be displayed will depend on the layout of the compartments and the service the vessel is engaged in.

(7) The requirement of notices as stipulated in sub-rule (6) above, shall also be provided in waiting rooms and terminals, where practicable and the information provided in a notice shall include:

- (a) The method to be used to inform passengers that an emergency has occurred;

- (b) The action they will be required to take;
- (c) How to use the life-saving equipment;
- (d) How to don a lifejacket; and
- (e) Where lifejackets are carried.

14. Search and Rescue (SAR) Requirements for Class I vessels

(1) All passenger vessels carrying more than 50 passengers must carry an agreed and up to date plan for co-operation with relevant Emergency Services for the vessel's area of operation.

Explanation: The aim of the co-operation plan is to ensure that, in the event of an emergency, vessel's staff and the relevant authorities are able to work efficiently together to respond to an emergency.

- (2) For the purpose of this Rule, brief details of the passenger vessel, the company and the SAR services must be exchanged and maintained ready for use and shall include direct contact details.
- (3) Exercises shall be undertaken periodically to test the plan's effectiveness.
- (4) Records of such exercises and names of participants shall be maintained.

15. Safety Equipment Plan

(1) All vessels of 24 m length and over are to have a Safety Equipment plan displayed on board showing the location of various Life saving appliances and all the Fire Control and Fire Fighting Appliances fitted/carried on board to be used in an emergency.

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT]

SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics)